

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प श्रीपुर

## -: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुर्हस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीपुर व भू.अ.नि. रामगढ़ की रिपोर्ट  
 तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 जिन खेतों की खाता तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्बन्ध में  
 खाता संख्या 40 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड  
 में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>खैरोया की दाणी</u>	<u>40</u>	<u>खातेदारान समस्त जाति चमार</u>	<u>खातेदारान समस्त जाति मधवाल</u>
	<u>रहन व अन्य प्रविष्टि</u>	<u>अभाव</u>		

88/11/1 - 2.26

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :-

प्रतिलिपि:-

1982  
216/18

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)